An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर–3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष–0651-2444501, 2444502, फैक्स–2444506
ई–मेल: jepcranchi1@gmail.com

विज्ञापन संख्या:– **ME/01/393/2006/Partfile/1537**

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना

1. विभागीय विज्ञापन संख्या ME/01/393/2006/Part file/1537 दिनांक 06.09.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए विभिन्न जिलों में संचालित **203 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों** में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अहर्ताधारी **महिला अभ्यर्थियों** से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक **30.09.2021 के अपराह्न 05:00** बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं :–

जिला	पद का नाम	रिक्ति	रोस्टर						कुल
			UR	BC-I	BC-II	SC	ST	EWS	
झारखण्ड के सभी 24 जिलों में उपलब्ध रिक्ति	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – भाषा	93	46	8	3	12	24	0	93
	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – गणित	90	36	6	3	15	30	0	90
	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – विज्ञान	95	41	9	4	12	29	0	95
	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – सा0 विज्ञान	63	33	4	3	6	17	0	63
	पूर्णकालिक (महिला)–लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	31	12	2	1	4	12	0	31
राज्य योग		**372**	**168**	**29**	**14**	**49**	**112**	**0**	**372**

2. उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिस जिले से संबंधित रिक्ति है उसे संबंधित जिले के अभ्यर्थी द्वारा अपने **जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में** निबंधित डाक द्वारा संबंधित जिले के जिला कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान (SSA) में अनिवार्य रूप से दिनांक 30.09.2021 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे । साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे ।

3. चयन हेतु अहर्ता एवं निर्धारित परिलब्धि –

क्र. सं.	पदनाम	वांछित अहर्ता	देय परिलब्धि
1	भाषा शिक्षिका (हिन्दी/अंग्रेजी)	1. **शैक्षणिक अहर्ता** :– किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका यथा क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अहर्ता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। **चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता,** प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। 2. **प्रशैक्षणिक अहर्ता** :– मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड. अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता। 3. **शिक्षक पात्रता परीक्षा** :– राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा	1. शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू. 10,000/– प्रतिमाह देय होगी। 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह रू. 15000/– प्रतिमाह प्रदान की जायेगी। 2. संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रू. की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।
2	गणित शिक्षिका		
3	विज्ञान शिक्षिका		
4	सामाजिक विज्ञान शिक्षिका		

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष–0651-2444501, 2444502, फैक्स–244450
ई–मेल: jepcranchi1@gmail.com

An ISO 9001:2015 certified

क्र. सं.	पदनाम	वांछित अहर्ता	देय परिलब्धि
		परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा।	जायेगी।
5	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर (महिलाओं के लिए)	1. किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान/विश्वविद्यालय से बी.कॉम प्रतिष्ठा में 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्णता। 2. तकनीकी अहर्ताः– किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स में पी.जी.डी.सी.ए./डी.सी.ए./समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता। 3. कार्य अनुभव :– हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाईपिंग के साथ टैली साफ्टवेयर (Tally Software) की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। 4. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे ।	1. संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू. 7,500/– प्रतिमाह देय होगी। 2. प्रत्येक एक वर्ष के संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में संविदा का विस्तार किया जाएगा। 3. तीन वर्ष तक संतोषप्रद कार्य किए जाने के पश्चात नियत मानदेय में एकबारगी 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्रतिमाह 11250/– रू. मानदेय स्वरूप प्रदान किया जाएगा। 4. प्रत्येक वर्ष संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रू. की वार्षिक मानेदय वृद्धि देय होगी।

4. विभागीय विज्ञापन संख्या ME/01/393/2006/Part file/1537 दिनांक 06.09.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए शुद्धिपत्र निर्गत किया गया है जिसे जे.ई.पी.सी. के अधिकारिक वेबसाईट पर देखा जा सकता है। जिला स्तर पर चयन की कार्रवाई उपरोक्त वर्णित पदों के विरूद्ध की जाएगी।

चयन संबंधी दिशा–निदेश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्नवत हैं –

1. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे । पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक–एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा ।
3. सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
4. आयु सीमा :–
   i. चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 तथा अधिकत्तम उम्र 35 वर्ष होगी परन्तु उच्चतम उम्र में कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक संख्या 29 दिनांक 04.01.2021 झारखण्ड सरकार के आलोक में निम्नवत् होगी :–

Sl.No.	Category	Maximum age limit
1	Unreserved Category	35
2	Female (UR/EWS/BC-I/BC-II)	38
3	Extremely Backward classes (Annexure	37

An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,
धुर्वा, राँची - 834 004
दूरभाष-0651-2444501, 2444502, फैक्स-2444506
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

	I)/ Backward Classes (Annexure II)	
4	SC/ ST (Female)	40
5	Person with bench mark disability (PwBD)	A relaxation of 10 years in their respective category.

ii. अनुभवी महिला Ex-Servicemen को अपनी कोटि में 05 वर्ष तक उपरोक्त अधिकत्तम आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

iii. उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 01.08.2021 के आधार पर की जायेगी।

5. **आवेदन :- सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 30.09.2021 के संध्या 05:00 बजे तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा (SSA) के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।**

6. **प्रकाशित विज्ञापन की विस्तृत प्रति जिसमें चयन की शर्तें, अहर्ता, जिलावार एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा-निदेश झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के अधिकारिक वेबसाईट "https://jepc.jharkhand.gov.in" पर उपलब्ध है । चयन से संबंधित सभी दिशा-निदेश उपरोक्त वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे समय-समय पर जानकारी हेतु वेबसाईट का अवलोकन करते रहेंगे । उपरोक्त जानकारी संबंधित जिलों के NIC के अधिकारिक वेबसाईट पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी।**

7. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक :-
   i. 23 X 10 से.मी. का स्वःपता लिखा हुआ दो लिफाफा ।
   ii. सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्वःअभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए ।
   iii. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) स्वःअभिप्रमाणित छाया प्रति।
   iv. झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की स्वःअभिप्रमाणित छाया प्रति।
8. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा ।
9. अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा।
10. अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित / रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेश अथवा जिले विशेष के चयन हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना को सुरक्षित रहेगा।
11. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे।
12. अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

21/9/21

(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद,
राँची ।

An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-
धुर्वा, राँची - 834 004
दूरभाष–0651-2444501, 2444502, फैक्स–2444506
ई–मेल: jepcranchi1@gmail.com

ज्ञापांक: GE/8/145/2021/1680 राँची, दिनांक: 22/09/2021

प्रतिलिपि:

1. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने जिले के जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी से संपर्क कर इस विज्ञापन को जिले के अधिकारिक वेब साईट में अपलोड कराना सुनिश्चित करायेंगे।
2. सभी जिलों के सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।
4. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद,
राँची ।

ज्ञापांक: GE/8/145/2021/1680 राँची, दिनांक: 22/09/2021

प्रतिलिपि:

1. प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सूचना जन सम्पर्क विभाग को इस विज्ञापन से संबंधित सूचना प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराया जाए।
2. श्री सचिन कुमार, एम.आई.एस. समन्वयक–सह–तकनीकी समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि विज्ञापन सामग्री एवं आवेदन का प्रारूप को जे.ई.पी.सी. के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

(किरण कुमारी पासी)
राज्य परियोजना निदेशक,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद,
राँची ।